ईसीएलजीएस 5.0 से विमानन क्षेत्र को मिला मजबूत वित्तीय सहारा : त्रिवेन्द्र

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली/देहरादून

सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संसद में प्रश्न पूछते हुए वित्त मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण विमानन क्षेत्र के सामने उत्पन्न अल्पकालिक वित्तीय दबाव से निपटने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 के तहत कोई रूपरेखा तैयार की है? उन्होंने एयरलाइनों को ऋण सहायता देने के पात्रता मानदंड, प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों तथा ऋण सहायता के उपयोग की निगरानी और विमानन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के उपायों का भी ब्यौरा मांगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण एमएसएमई एवं गैर-एमएसएमई क्षेत्रों के सामने उत्पन्न अल्पकालिक चलनिधि संबंधी जरूरतों से निपटने के लिए मई 2026 में ईसीएलजीएस 5.0 शुरू की है। अनुसूचित यात्री विमानन क्षेत्र के पात्र उद्यमों को उनकी उच्चतम बकाया ऋण सीमा के 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है, जिस पर एनसीजीटीसी के माध्यम से 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज उपलब्ध है। राज्यमंत्री चौधरी ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक अनुसूचित यात्री विमानन क्षेत्र के संबंध में ईसीएलजीएस 5.0 के तहत कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कुल 2,529.67 करोड़ की राशि शामिल है। इनमें से 4 आवेदन 920.22 करोड़ की राशि के स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 3 मामलों में 912.40 करोड़ की गारंटी जारी की गई है। त्रिवेन्द्र ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 के माध्यम से केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र को वित्तीय संकट के बीच आवश्यक तरलता उपलब्ध कराने के साथ-साथ हवाई सेवाओं की निरंतरता, रोजगार की सुरक्षा और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ऋण सहायता के उपयोग की निगरानी के लिए भी प्रभावी प्रावधान किए हैं। 100 करोड़ से अधिक की सहायता का उपयोग ईंधन, हवाई अड्डा शुल्क, विमान पट्टा भुगतान एवं अन्य आवश्यक परिचालन खर्चों में किया जाना है तथा इसके सत्यापन के लिए ऑडिटर प्रमाण-पत्र की व्यवस्था की गई है।

सांसद त्रिवेन्द्र ने संसद में उठाया हिंसक वन्यजीवों से मानव जीवन की सुरक्षा का मुद्दा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली/देहरादून

सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संसद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से मानव जीवन के लिए खतरा बने वन्यजीवों से मानव जीवन की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विशेष योजनाओं एवं कार्ययोजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने इस दिशा में किए जा रहे उपायों, पिछले दो वर्षों में जारी धनराशि, वन्यजीवों के प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के परिणामों का भी ब्यौरा मांगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की है। केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित समग्र योजना ह्यवन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके तहत संकटग्रस्त वन्यजीवों को पकड़ने एवं पुनर्वास, निगरानी, वन्यजीवों को दूर भगाने के उपाय, मानव जीवन एवं फसल-संपत्ति के नुकसान का मुआवजा, बीमा, जन-जागरूकता तथा वन विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि देशभर में ह्यवन्यजीव पर्यावासों का विकास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 131.71 करोड़ और वर्ष 2025-26 में 95.20 करोड़, कुल 226.90 करोड़ की धनराशि जारी की गई। वहीं, उत्तराखंड को इसी योजना के तहत दो वर्षों में 9.38 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली। इसमें वर्ष 2024-25 में 6.52 करोड़ और वर्ष 2025-26 में 2.85 करोड़ शामिल हैं। इसी प्रकार, ह्यबाघ एवं हाथी परियोजना के तहत देशभर में वर्ष 2024-25 में 290 करोड़ और वर्ष 2025-26 में 158.52 करोड़, कुल 448.52 करोड़ जारी किए गए। उत्तराखंड को इस योजना के तहत दो वर्षों में 25.04 करोड़ मिले, जिसमें वर्ष 2024-25 में 18.23 करोड़ और वर्ष 2025-26 में 6.81 करोड़ शामिल हैं।

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करेगी आरपीआईः आठवले

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री मा. रामदास आठवले जी ने कहा कि आरपीआई को आगामी कुछ वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है और इसके लिए संगठन का देशव्यापी विस्तार और जनाधार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्यू महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली में आयोजित आरपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री रामदास आठवले जी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तथा अन्य वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रामदास आठवले जी ने कहा कि नागालैंड में दो विधानसभा सीटें जीतने तथा मणिपुर में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद दो राज्यों में आरपीआई को राज्य स्तरीय दल की मान्यता पहले ही मिल चुकी है।

दलित मुसलमानों को अनुच्छेद 341 में शामिल करने की मांग

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर मिशन 341 डे ऑफ इन जस्टिसह्व के तहत एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन का आयोजन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और कारवां-ए-इत्तेहाद की ओर से किया गया। प्रदर्शन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और दलित मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शन को हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जीशान हैदर मलिक, चेयरमैन कारवां-ए-इत्तेहाद, अब्दुल हकीम हवारी, गफ्फार सलमानी, मोहम्मद फहीमुद्दीन हवारी, दिलशाद अख्तर सलमानी, आसिफ मोहम्मद हवारी, इसराइल अली हवारी, जान आलम शेख, बंगाल अध्यक्ष मोर्चा, एसएम नूरुल्लाह, अध्यक्ष दिल्ली राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, डॉ. असद नाज, शहनवाज हवारी, हरियाणा अध्यक्ष मोर्चा, निशा मंसूरी, डॉ. इकरार भारती और फिरोज हवारी आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शनकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों को शामिल करने की मांग की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि केजी बालाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई प्रभावी और व्यावहारिक कदम नहीं उठाया गया है,जो चिंता का विषय है।

PUBLIC NOTICE

SECOND FLOOR PORTION OF PROPERTY NO. D-107, DEFENCE COLONY, NEW DELHI

That our client, **Rohit Sharma**, proposes to purchase the above-said property from **Shibani Khosla**, who has represented our client that she is the absolute owner and in possession of the said property. She acquired the said property after the death of **Vijay Kumar Dhirani**, who was the owner of the said property by virtue of Sale Deed dated **23.05.2006**.

That **Vijay Kumar Dhirani** died intestate, leaving behind **Shibani Khosla** and **Vikram Dhirani** as his only Class-I legal heirs. Thereafter, **Vikram Dhirani** relinquished all his rights, title and interest in the said property in favour of **Shibani Khosla** vide Relinquishment Deed No. **1190 dated 07.03.2018**. Consequently, Shibani Khosla claims to be the absolute owner of the said property and is in possession thereof.

That the original prior title-chain documents, namely, the Original Sale Deed dated 13.07.2001 executed in favour of **Shailja Bhojraj** and the Original Sale Deed dated **15.12.2005** executed in favour of Raj **Kumar Bhutani** and **Ashok Kumar Bhutani**, have been misplaced/lost. In this regard, an Information Report bearing **LR No. 521475/2026 dated 08.08.2026** has been lodged/reported.

Under the circumstances, notice is hereby given to the General Public, Bank/Financial institutions or other person/s, organization/s, company/ies, government authority/ies, having any claim, rights, title, or any interest of any nature whatsoever into or upon the said property, is hereby called upon to make the same known, in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned hereinbelow within **7** days of the publication of this notice and in the event no response having been received to the notice, the title of **Shibani Khosla** to the said property shall be deemed to be clear of any claim, charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our client in any manner whatsoever.

Kumar Abhishek
Advocate
Legal Access
132A, Anarkali Complex, Jhandewalan Ext. New Delhi

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि (1) श्री संजीव कुमार सचदेव, (2) श्री आदित्य कुमार गर्ग, (3) श्री कपिल कुमार गर्ग, ब्लॉक-A, सेक्टर-72, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर 20 (क्षेत्रफल 450.00 वर्ग मीटर) के कब्ज़ेदार हैं। वे इस प्रॉपर्टी के कब्ज़ेदार GPA, ATS और 20.02.2007 की वसीयत (Will) के माध्यम से हैं, जिसे श्री हेम चंद गुप्ता ने (1) श्री संजीव कुमार सचदेव, (2) श्री आदित्य कुमार गर्ग और (3) श्रीमती संध्या गर्ग (पत्नी श्री कपिल कुमार गर्ग) के पक्ष में निष्पादित किया था। दुर्भाग्य से, श्रीमती संध्या गर्ग का 23.05.2021 को निधन हो गया और उनके कानूनी उत्तराधिकारी (1) श्री कपिल कुमार गर्ग, (2) श्रीमती हिमानी गर्ग और (3) श्री वंश गर्ग हैं।
(1) श्री संजीव कुमार सचदेव, (2) श्री आदित्य कुमार गर्ग, (3) श्री कपिल कुमार गर्ग, ट्रांसफर डीड के माध्यम से उक्त प्रॉपर्टी का मालिकाना हक श्रीमती अंजना चोपड़ा और संजय चोपड़ा को ट्रांसफर करना चाहते हैं (ट्रांसफर डीड में सुश्री हिमानी गर्ग और श्री वंश गर्ग को कन्फर्मिंग पार्टी के तौर पर शामिल किया जाएगा)। इसके बाद, श्रीमती अंजना चोपड़ा और संजय चोपड़ा उक्त प्रॉपर्टी को ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पास गिरवी रखने की प्रक्रिया में हैं। इस लेन-देन के संबंध में कोई भी आपत्ति या चिंता इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर उठाई जानी चाहिए। 15 दिनों की इस अवधि के पूरा होने के बाद दी गई किसी भी आपत्ति को उक्त प्रॉपर्टी या हमारे क्लाइंट के हितों के संबंध में बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
यदि कोई आपत्ति उठाना चाहता है, तो कृपया निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर 'लॉ वेरिटास: नॉर्थ (एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स)' से संपर्क करें - ऑफिस नंबर 11, पहली मंज़िल, बिल्डिंग नंबर A-44/A, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; लैंडलाइन: +91012-04499711, ईमेल: accounts@lvnorth.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि पूरी पहली मंज़िल (बिना छत/अधिकारों के) फ्रीहोल्ड संख्या C-29, क्षेत्रफल 2016.00 वर्ग मीटर, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली, वर्तमान में M/s इरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है, और बिक्री विलेख के आधार पर पंजीकरण संख्या 715, दिनांक 10.02.2014 के तहत विधिवत पंजीकृत हैं, और इसे भारतीय स्टेट बैंक, शाखाः होम लोन सेंटर, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में सुरक्षा के रूप में पेश करने का प्रस्ताव है और वर्तमान मालिक के संस्करण के अनुसार उक्त संपत्ति सभी प्रकार के भार से मुक्त है। (1) मूल स्थायी पट्टा श्री सुरेश चंद जैन के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसका पंजीकरण संख्या 3228, दिनांक 10.11.1976 है, (2) मूल कन्वेयंस विलेख श्री सुरेश चंद जैन के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसका पंजीकरण संख्या 8404, दिनांक 22.08.1997 है, (3) मूल GPA श्री सुरेश चंद जैन द्वारा (1) श्री विजय इसरानी (2) श्री धर्मपाल विग के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसका पंजीकरण संख्या 6220, दिनांक 30.11.2011 है (4) मूल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट दिनांक 01.11.2011 श्री सुरेश चंद जैन द्वारा (1) श्री विजय इसरानी (2) श्री धर्मपाल विग के पक्ष में निष्पादित किया गया (5) मूल बिल्डिंग सैंक्शन प्लान दिनांक 12.06.2012 MCD द्वारा श्री सुरेश चंद जैन के पक्ष में जारी थे, के खो जाने की सूचना एल.आर. संख्या 521 871/2026, दिनांक 08.08.2026 के तहत हौज खास ई पुलिस स्टेशन, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के साथ दी गई है।

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति और /या बैंक, वसीयत का लाभार्थी, HUF / HUF का सदस्य, वित्तीय संस्थान का कोई भी दावा करने वाला लाभार्थी, किसी भी आरोप, ब्याज या ग्रहणाधिकार या दावे और / या उस पर आपत्ति है. तो वह इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी सबूत / अदालत के फैसले के साथ अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना दे सकता है। ऐसा न करने पर किसी भी आगे/भविष्य' के दावे/आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और मेरे ग्राहक/संभावित खरीदार (ओं) को एक वास्तविक खरीदार के रूप में मेरे ग्राहक/संभावित खरीदार (ओं) उसके पक्ष में या उसके / उनके नामांकित व्यक्ति को / पर प्रस्तावित बिक्री विलेख का निष्पादित कर दिया जायेगा और प्रस्तावित बिक्री विलेख बिना किसी दोष. भार. दोष और बाधा के स्पष्ट और विपणन योग्य माना जाएगा।

सत्येंद्र यादव (अधिवक्ता)
चैंबर नंबर 561, 5वीं मंजिल, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली
मोबाइल-9711212421, ईमेल: satender175@gmail.com

PUBLIC NOTICE

AURIGA BUILDWELL PRIVATE LIMITED
Reg.Office:Flat: Flat No.230 2ND Floor Veer Awas Apartments Sec-18A Dwarka-110075
CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF AURIGA BUULDWELL PRIVATE LIMITED AT THEIR MEETING HELD ON WEDNESDAY, 20TH MAY, 2026 AT ITS REGISTERED OFFICE.
"RESOLVED THAT in supersession of all board resolutions passed previously by Auriga Build well Private Limited, including but not limited to board resolutions passed on 31.01.2024,or any others also if any the authority given to Mr.Teg Bahadur Rai's son of Mr.Lalta Prasad Rai Vide above referred resolutions and otherwise, whether express or implied, stands withdrawn with immediate effect.
RESOLVED FURTHER THAT all directors of the Company be and are hereby severally authorized to convey the said withdrawal of authority of Mr. Teg Bahadur Rai to all persons concerned as well as to the statutory authorities, Noida Authority and the public at large by way of publishing notices in newspapers, if need be, in the areas/locations of operations of Auriga Build Well Private Limited and/or such other means, as they think fit to protect the best interests of the Company.
For AURIGA BUILD WELLPRIVATE LIMITED
VISHAL VERDHAN — DIRECTOR — DIN: 01186364
RAJENDRA SINGH — DIRECTOR — DIN: 03278865

PUBLIC NOTICE

Mr. Vibhas Sharma has approached ICICI Bank Ltd., Noida, U.P. (Bank) to avail a loan for purchase of Unit No. D-402, 4th Floor, (1135 sq. fts.), Tower-D, Prateek Laurel, Plot No. GH-01, Sector-120, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. from Mr. B.C Pande, who has represented that he is the sole & absolute owner of the said property by virtue of Sub Lease Deed dated 30.06.2013 (Doc-7761) and Mutation Letter dated 26.03.2025 issued by NOIDA issued after the death of his wife Mrs. Alka Pande, the co-owner. If anybody, person, body corporate has any right, lien or claim whatsoever on the said Property by way of inheritance, mortgage, sale or otherwise, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 15 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims or the same have been waived off. No claim or objection shall be entertained thereafter and Bank shall proceed to advance the loan on mortgaging of the said property.

Amit Kumar, Advocate
Narang & Associates
D-28, Jangpura Extension,
New Delhi-110014.

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलेश देवी, पहली मंज़िल (अपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर) पर स्थित एक फ़्लैट (प्राइवेट नंबर FF-03, सामने की तरफ़) की कब्ज़ेदार हैं। यह फ़्लैट 50 वर्ग गज का है और प्रॉपर्टी नंबर 98 (पुराना प्लॉट नंबर 23) पर बना है, जो खसरा नंबर 1254/928/512 में आता है। यह प्रॉपर्टी दिल्ली-110092 के शाहदरा इलाके में मंडावली फ़ज़लपुर गाँव के साउथ गणेश नगर में स्थित है। उनके पास इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा GPA, ATS और 21.01.2014 की वसीयत (Will) के ज़रिए है, जिसे श्री सतीश कुमार शर्मा ने श्रीमती कमलेश देवी के पक्ष में निष्पादित किया था।
श्रीमती कमलेश देवी उक्त प्लॉट का मालिकाना हक 'सेल डीड' (बिक्री विलेख) के ज़रिए श्री आशुतोष कुमार नीरज और कुमारी अनुपम को ट्रांसफर करना चाहती हैं। इसके बाद, श्री आशुतोष कुमार नीरज और कुमारी अनुपम उक्त प्लॉट को SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पास गिरवी रखने की प्रक्रिया में हैं। इस लेन-देन के संबंध में कोई भी आपत्ति या चिंता इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 7 दिनों के भीतर उठाई जानी चाहिए। 7 दिनों की इस अवधि के पूरा होने के बाद दी गई किसी भी आपत्ति को उक्त प्रॉपर्टी या हमारे क्लाइंट के हितों के संबंध में बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
यदि कोई आपत्ति उठाना चाहता है, तो कृपया तय 7 दिनों की अवधि के भीतर 'लॉ वेरिटास: नॉर्थ (एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स)' से संपर्क करें। पताः ऑफिस नंबर 11, पहली मंज़िल, बिल्डिंग नंबर A-44/A, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301; लैंडलाइन: +91012-04499711, ईमेल: accounts@lvnorth.in

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the public for general information that the original Conveyance Deed dated 15.11.2010, executed between the President of India and M/s S.N. Sunderson & Co., having its registered office at, 1, Deshbandhu Gupta Road, Paharganj, New Delhi–110055, inrespect of the plot No. 1 in block 1, in D.B. Gupta Road, Paharganj ad-measuring 377.8 Sq. Yds, registered on 28.03.1969 as Document No. S/1(137)2008/OSB in the office of the Sub-Registrar Delhi/New Delhi, being Serial Number 2049 in Book No. I, Volume No. 2161, at pages 99 to 103 has been lost/misplaced.
Apolice complaint regarding the loss of the said original Conveyance Deed has been lodged at Police Station Paharganj, vide Lost Report (LR) No. 244464/2026 dated 19.04.2026.
Any person(s), bank(s), financial institution (s), or other entity having possession of the aforesaid original Conveyance Deed, or having any claim, right, title, interest, lien, charge, mortgage, objection, or demand whatsoever in respect of the said property by virtue of the said Conveyance Deed, is hereby called upon to contact the undersigned and submit their claim, along with supporting documentary evidence, within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice.

Riju Jauhar S/o Mr. J.K. Jauhar
R/o B-112,Gulmohar Park,
New Delhi-110049

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Saddam is in process to avail LAP against Plot of land area measuring 105.70 Sq. Yards, i.e. 88.40 Sq. Mtrs., out of Khasra No. 675, Situated at Jewar Banger (Bahar Nagar Panchayat Chhatra), Pargana & Tehsil Jewar Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. which is in the name of Fakruddin (availing loan from Saraswat Co-op Bank Ltd), having acquired the said property vide Sale Deed dated 08.05.2024 executed by Mrs. Radhika Garg (Doc no. 5818), whereas he has lost following documents pertaining to the said property, an FIR has already been lodged for that on dated 3/8/26
a. Original Sale Deed dated 20.11.2020 executed by Mr. Munshi in favour of Mrs. Anita Goyal (Doc no. 7561).
b. Original Sale Deed dated 14.02.2024 executed by Mrs. Anita Goyal in favour of Mrs. Radhika Garg (Doc no. 2172).
All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned.

KamalKant Gupta (Advocate)
Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower
Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

सार्वजनिक सूचना

इसके जरिए यह सूचना दी जाती है कि **जगजीत कौर**, N.I.T फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित मकान नंबर 5–K/12A **(जिसे आगे उक्त प्रॉपर्टी कहा जाएगा)** की मालिक हैं और उस पर उनका कब्जा है। यह मालिकाना हक 16.02.2026 की सेल डीड (दस्तावेज संख्या 8775) के आधार पर है। **जगजीत कौर** ने उक्त प्रॉपर्टी **प्रमोद कुमार** को बेचने का समझौता किया है और **प्रमोद कुमार** ने हमारे क्लाइंट, **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, राजेंद्र प्लेस ब्रांच** के पक्ष में उक्त प्रॉपर्टी को मॉर्गेज (गिरवी) रखने पर सहमति जताई है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त प्रॉपर्टी या उसके किसी हिस्से पर कोई दावा है — चाहे वह बिक्री, अदला–बदली, मॉर्गेज (इक्विटेबल/रजिस्टर्ड या अन्य), गिफ्ट, ट्रस्ट, विरासत, लियन (अधिकार) या किसी अन्य तरीके से हो कृ तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना की तारीख से **7 दिनों** के भीतर नीचे दिए गए पते पर सहायक दस्तावेजी सबूतों के साथ हमें लिखित रूप में सूचित करें। ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी भी दावे को छोड़ा हुआ या त्याग दिया गया माना जाएगा और हमारा क्लाइंट लोन देने और उसके बाद प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

विशाल दीवान, अधिवक्ता
दीवान एंड कंपनी
हाउस नंबर 2 (एलजीएफ),एनआरआई कॉम्प्लेक्स, एन.डी–19, vishaldiwan@diwanandcompany.com

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रविंदर नाथ विश्वास, नई दिल्ली में विष्णु गार्डन एक्सटेंशन नंबर 5 की धर्मपुरी कॉलोनी में स्थित खसरा नंबर 13/15 के अंतर्गत आने वाले प्लॉट नंबर 72 और 73 (क्षेत्रफल 24 वर्ग गज) पर बने मकान नंबर D-73 के कब्ज़ेदार हैं। उनके पास यह कब्ज़ा श्रीमती शकुंतला देवी द्वारा श्री रविंदर नाथ विश्वास के पक्ष में 01.06.1994 को निष्पादित GPA और ATS, तथा 12.01.1995 को निष्पादित और पंजीकृत वसीयत (दस्तावेज़ नंबर 1981) के माध्यम से है। श्री रविंदर नाथ विश्वास उक्त प्लॉट का मालिकाना हक 'सेल डीड' (बिक्री विलेख) के ज़रिए रीता देवी और बाली राम यादव को हस्तांतरित करना चाहते हैं। इसके बाद, रीता देवी और बाली राम यादव उक्त प्लॉट को SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पास गिरवी रखने की प्रक्रिया में हैं। इस लेन-देन के संबंध में कोई भी आपत्ति या चिंता इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 7 दिनों के भीतर उठाई जानी चाहिए। 7 दिनों की इस अवधि के पूरा होने के बाद दी गई किसी भी आपत्ति को उक्त संपत्ति या हमारे क्लाइंट के हितों के संबंध में बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। यदि कोई आपत्ति उठाना चाहता है, तो कृपया निर्धारित 7 दिनों की अवधि के भीतर 'लॉ वेरिटास: नॉर्थ (एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स)' से संपर्क करें। पताः ऑफिस नंबर 11, पहली मंजिल, बिल्डिंग नंबर A-44/A, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301। लैंडलाइनः +91012-04499711, ईमेलः accounts@lvnorth.in

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Manish Ghai is in process to purchase (availing loan from Suryoday Small Finance Bank Ltd.) the Residential Plot No. 214 in Block-A, Area Measuring 191.46 Sq. Yds., situated in the layout plan of Delhi School Teachers Co-operative House Building Society Ltd., colony known as Surajmal Vihar, Delhi-110092 from (1) Chandra Kala Bidalia, (2) Krishna Mohan Kukrety, (3) Mahendra Pratap Kukrety, (4) Man Moham Kukrety, (5) Prem Lata Kukrety, (6) Rashmi, (7) Satya Bhama Kukrety, (8) Sudha Dobhal, (9) Vijay Laxmi and (10) Vivek Kukrety, all are the legal heirs of late Data Ram Kukrety, who acquired the said property by virtue of Conveyance Deed dated 20.4.2000 (Doc No. 5970)
All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned.

KamalKant Gupta (Advocate)
Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower
Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती छवि रानी पत्नी श्री राहुल गुप्ता, कस्बा लावद परगना दौराला, तहसील सरधना जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवासीय संपत्ति संख्या 107 का बेसमेंट, क्षेत्रफल 151 वर्ग गज (126.25 वर्ग मीटर) के मालिक हैं, इसका स्वामित्व बिक्री विलेख दिनांक 26.06.2021 दस्तावेज़ संख्या 10220 के माध्यम से है झंखला दस्तावेज़ बिक्री विलेख दिनांक 27.12.2019 दस्तावेज़ संख्या 22116 है, जिसे श्री भूपेंद्र पुत्र स्वर्गीय श्री धनीराम और श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री आलोक गुप्ता ने श्री अमित कुमार पुत्र श्री अमरीश सिंह पक्ष में निष्पादित किया था। यह दस्तावेज़ खो गया हैं। श्री अमित कुमार ने एलएआर नंबर 20260000803214 के माध्यम दिनांक 04.08.2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अमित और श्रीमती सरोज इस संपत्ति को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक रख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ये दस्तावेज मिला है या किसी व्यक्ति, निगम, कंपनी, वित्तीय संस्थान और अन्य के पास उक्त संपत्ति में कोई दावा/प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 7 दिनों के भीतर सूचित करें। रोहित कुमार एडवोकेट
मेधास्वी एनफोर्समेंट एंड लीगल सर्विस
ऑफिस नं. 329, तीसरी मंजिल, आदित्य पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबरः 7300601626, 9818171626
ईमेलः medhaswienforcement@gmail.com

The Pioneer Classified

LOST & FOUND

I, Rizwan Ahmed Khan S/o. Abrar Ahmed Khan, R/o. F-17/1, House No.502, Jogabai Extension, Jamia Nagar, New Delhi-110025, have actually lost my original degree B.A. (pass), Roll No.97P151, Enrolment No.972690 issued from Jamia Millia Islamia (2020).

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Amir Ansari W/o Late Rais Khan R/o Noor Jahan Masjid, M-81/1, 20 Futa Road, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, South Delhi, Delhi-110025, have changed my name and shall hereafter be known as Amir Jahan.

I, Sonu, W/o Pawan Kumar, aged 43 years, R/o R21 Rail Enclave, Sector 12, Pratap Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Hereby declare that I have changed my name from Sonu to Sonu Kumar for all purposes.

I, Ranjana Chakrabarti W/o Nirmal Kumar Chakrabarti R/o Flat No-A401, Himalaya Sahkari Awas Samiti Sector-5 Vasundhara Ghaziabad. Hereby declare that I have changed my name from Ranjana Ray to Ranjana Chakrabarti for all purposes. Henceforth Ranjana Ray and Ranjana Chakrabarti one and the same person. Aditya Ray is my son, and residing at the same address.

I, Anam Mustafa Khan W/o Abuzar Hussain Khan R/o D147, Sector-40, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301, have changed my name to Anam Mustafa for all future purposes.

EMBASSY

Tapir Constructions Limited
(CIN: U70200DL2014PLC267441)
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2026

(₹ in Millions)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30 June 2026 (Unaudited)	Corresponding quarter ended 30 June 2025 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2026 (Audited)
1	Total Income from Operations	71.82	2,852.73	4,765.24
2	Net (Loss) / Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(113.31)	109.65